उत्तर पश्चिम रेलवे
यांत्रिक विभाग (कैरिज व वैगन) – जयपुर मण्डल

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुसार)

1. संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण:

मंडल स्तर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू), यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के समग्र प्रभारी होते हैं। मंडल में यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू) द्वारा किया जाता है, जिन्हें डीएमई/एफएल, एडीएमई (सी एंड डब्ल्यू), कोचिंग डिपो अधिकारी, जयपुर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन में परिचालन नियंत्रण की सहायता के लिए सी एंड डब्ल्यू नियंत्रण उपलब्ध है। एसएसई/जेई (सी एंड डब्ल्यू) के अधीन तकनीशियन और सहायक रोलिंग स्टॉक के रखरखाव, ब्रेक डाउन उपकरणों के रखरखाव और संचालन आदि के लिए जिम्मेदार हैं।

यांत्रिक (कैरिज व वैगन) विभाग के कार्य:

i) कोचिंग एवं माल ढुलाई रोलिंग स्टॉक का रखरखाव ।

ii) रेलवे दुर्घटना के मामले में ब्रेक डाउन उपकरणों का रखरखाव और संचालन, बहाली, राहत और बचाव कार्य।

2. अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य:

क्र. सं.	पदनाम	ड्यूटी
1.	वरि.मं.यां.इंजीनियर (कै व वै)/जयपुर	मंडल स्तर पर यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के समग्र प्रभारी। यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों का समग्र प्रबंधन और समन्वय, निर्णय लेना, डी एंड एआर मामलों को निपटान, महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना, यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के तहत संचालित कार्यों और रखरखाव अनुबंधों के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करना, मंडल में मुख्यालय और अन्य विभाग के साथ समन्वय।
2.	वरि. कोचिंग डिपो अधिकारी –जयपुर	कोच केयर कॉम्प्लेक्स/जयपुर की कोचिंग गतिविधियों का प्रबंधन, सीसीसी/जेपी के सुचारू संचालन के लिए मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय, डीएंडएआर मामलों का निपटान, दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय शक्ति का प्रयोग, संविदात्मक कार्यों की जांच, सीसीसी/जेपी की महत्वपूर्ण संपत्तियों और उपकरणों की संस्थापना, रखरखाव व सुचारू संचालन।
3.	मण्डल विद्युत इंजीनियर (कोचिंग)	कोच केयर जयपुर में इलेक्ट्रिक कोचिंग से सम्बंधित गतिविधियों का प्रबंधन, सीसीसी/जेपी में इलेक्ट्रिक कोचिंग से सम्बंधित गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय एवं महत्वपूर्ण संपत्तियों और उपकरणों की संस्थापना, रखरखाव व सुचारू संचालन। इसके अतिरिक्त डीएंडएआर मामलों का निपटान की जिम्मेदारी।
4.	मं.यां.इंजीनियर-फुलेरा	फुलेरा में मालगाड़ी परीक्षण और ROH गतिविधियों का प्रबंधन और निगरानी। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद, संविदात्मक कार्यों की परीक्षण जांच, यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग की महत्वपूर्ण संपत्तियों और उपकरणों की संस्थापना, रखरखाव व सुचारू संचालन।
5.	सहा.मं याँ इंजीनियर (कै व वै)	फील्ड इकाइयों में सी एंड डब्ल्यू गतिविधियों का प्रबंधन, फील्ड इकाइयों के सुचारू कामकाज के लिए मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय, डी एंड एआर मामलों का निपटान, दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना, संविदात्मक कार्यों की जांच करना, यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग की महत्वपूर्ण संपत्तियों और उपकरणों की संस्थापना, रखरखाव व सुचारू संचालन।
6.	सहा.मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (ट्रेन सेट)	खातीपुरा स्टेशन पर में ट्रेन सेट के रखरखाव और संचालन के लिए सी एंड डब्ल्यू गतिविधियों का प्रबंधन अर्थात ट्रेन सेट के लिए नामित और कोचिंग डिपो/जेपी में, क्षेत्रीय इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए मंडल मुख्यालय के साथ समन्वय, ट्रेन सेट के लिए दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय शक्ति का प्रयोग, संविदा कार्यों की परीक्षण जांच, स्थापना की निगरानी, यांत्रिक (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के तहत महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और उपकरणों का सुचारू संचालन।

7.	**वरि. एवं कनिष्ठ अनुभाग अभियन्ता (कै व वै)**	यात्री व मालगाडी के डिब्बों के रखरखाव का अनुरक्षण व पर्यवेक्षण, सी एंड डब्ल्यू विंग के तहत संचालित संविदात्मक गतिविधियों का पर्यवेक्षण, खराब उपकरणों के रखरखाव और संचालन का पर्यवेक्षण, ऐसे रखरखाव के लिए कर्मचारियों का प्रबंधन।

3. पर्यवेक्षण के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

फील्ड यूनिट स्तर पर गतिविधियां विभिन्न ग्रेडों में संबंधित इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू) द्वारा की जाती हैं। सी एंड डब्ल्यू विंग में पर्यवेक्षण के 2 स्तर हैं अर्थात सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर और जो सी एंड डब्ल्यू डिपो गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं और कार्यों के दिन-प्रतिदिन के निपटान के लिए छोटे निर्णय लेते हैं। असाधारण मामले जहां इन स्तरों पर निर्णय संभव नहीं हैं, मामले को उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है यानी मालगाड़ी की जांच के लिए डीएमई/एफएल और आरओएच, कोच केयर कॉम्प्लेक्स, जयपुर के लिए कोचिंग डिपो अधिकारी और सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू)। नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, पदों का सृजन, अतिरिक्त संपत्ति, सुविधाओं का सृजन आदि जैसे प्रमुख निर्णय शाखा अधिकारी यानी वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सी एंड डब्ल्यू) द्वारा लिए जाते हैं। जो निर्णय वरिष्ठ डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर (सीएंडडब्ल्यू) की क्षमता से परे होते हैं, उन्हें अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) या मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को भेजा जाता है या मामले को उच्च स्तर पर आगे के निपटान के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय को भेज दिया जाता है।

4. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

प्रत्येक मंडल के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान पालन करने के लिए जोनल कार्यालय द्वारा अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। मंडल इकाई और फील्ड इकाइयाँ जोनल मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य कर रही हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर, कुछ मिशन आइटम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन जोनल मुख्यालय की देखरेख और मार्गदर्शन में विभिन्न मंडल इकाई और फील्ड इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। माल ढुलाई रखरखाव के लिए, मार्ग में अलग किए गए वैगनों की संख्या, ट्रेन के अलग होने के मामलों की संख्या, खराब ब्रेक पावर आदि के लिए कुछ लक्ष्य हैं, कोचिंग सेवाओं के लिए, लक्ष्य मार्ग में अलग किए गए कोचों की संख्या, प्राथमिक डिपो में अनुसूचित रखरखाव के लिए उपस्थित कोचों की संख्या, अनुचित रखरखाव के कारण समय की पाबंदी के नुकसान के मामलों की संख्या के लिए हैं। इसके अलावा, सुरक्षा प्रदर्शन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जैसे कि विभिन्न स्तरों पर किए गए निरीक्षणों की संख्या, विभिन्न स्तरों पर किए गए सुरक्षा अभियानों की संख्या, सीएंडडब्ल्यू खाते में दुर्घटना/पटरी से उतरने के मामलों की संख्या। लौह और अलौह दोनों धातुओं के स्क्रैप के निपटान के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

5. इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड:

(ए) नियम एवं विनियम:

i) रेलवे सेवा आचरण नियम।

ii) अनुशासनात्मक एवं अपील नियम।

iii) रोजगार के घंटे विनियमन।

iv) पास नियम।

v) छुट्टी नियम।

vi) पेंशन नियम।

(बी) निर्देश और मैनुअल:

i) भारतीय रेलवे स्थापना संहिता।

ii) भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता।

iii) अनुबंध की सामान्य शर्तें और मानक विनिर्देश।

iv) कोच रखरखाव मैनुअल।

v) वैगन रखरखाव मैनुअल।

vi) सामान्य नियम और सेवा नियम।

vii) दुर्घटना मैनुअल।

viii) भारतीय रेलवे स्टोर कोड।

ix) भारतीय रेलवे सम्मेलन नियम- भाग-III और IV।

x) आरडीएसओ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न तकनीकी पर्चे और निर्देश।

xi) रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देश।

xii) सामान्य और सहायक नियम

6. उसके पास या उसके नियंत्रण में मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण:

कोड, मैनुअल, विनिर्देश, ड्राइंग, सीएंडडब्ल्यू रखरखाव से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड, विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित फाइलें। बोर्ड से नीतिगत दिशानिर्देश और निर्देश, विभिन्न कोड और मैनुअल में सुधार स्लिप। आधिकारिक कार्यों को पूरा करने के लिए आंतरिक पत्राचार, जो आम जनता के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

7. किसी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी व्यवस्था का विवरण:

आंतरिक मामलों के लिए, उचित अंतराल पर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ अनौपचारिक बैठकें, पीएनएम आदि आयोजित करने की व्यवस्था है, जिसमें स्थापना, परिचालन पहलुओं, कर्मचारी कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है और तदनुसार हल किया जाता है। सार्वजनिक संबंधित मामलों के लिए, मंडल के शाखा अधिकारी को सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि, मंडल रेल प्रबंधक समय-समय पर मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी) के साथ बैठक करता है और सार्वजनिक मुद्दों से निपटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकता है।

इसके अलावा, प्रत्येक मंडल कार्यालय में जनसंपर्क संगठन है, जिसके माध्यम से प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जा रहा है। यात्री गाड़ियों में सेवा और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए, रेलवे प्रशासन वास्तविक रेल यात्रियों से विभिन्न शिकायतों और सुझावों को स्वीकार करता है और उनके निपटान के लिए तदनुसार कार्य करता है।

8. बोर्ड, परिषद, समितियों और दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए गठित किए गए हैं, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं:

यान्त्रिक विभाग में ऐसा कोई बोर्ड, परिषद, समिति या अन्य निकाय नहीं है।